न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 01/2012

वादीगण :-

1. देवाराम पुत्र जीवण
2. चौथा पुत्र जीवण

जातियान-गुर्जर, निवासी-रूपनगर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुखा पुत्र चुतराराम
2. रड़मा पुत्र चुतराराम
3. चन्द्रा पुत्र चुतराराम
4. सुखा पुत्र भैरू
5. सरदार पुत्र भैरू
6. गिरधारी पुत्र भैरू
7. राधा पत्नि भैरू
8. शांति पत्नि रड़मा

जातियान-गुर्जर,निवासी-रूपनगर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

9. तहसीलदार, जैतारण
10. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
11. पटवारी हल्का-रास-।

तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.02.01.2012

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बावत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-रूपनगर, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 5-13 बीघा किस्म से0अ0 की कृषि भूमि आई हुई हैं। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 की शामलाती कब्जा व काश्त की आई हुई हैं व माफिक अपने-अपने कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 की प्रति साथ पेश हैं। उक्त आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त खसरान् भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 का 1/4 हिस्सा आता हैं व प्रतिवादीगण संख्या 04 से 07 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 08 का 1/4 हिस्सा आता हैं तथा मौके पर माफिक अपने हक व हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 के कब्जे व काश्त की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 मकान बनाकर सपरिवार सहित रह रहे हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 03 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं व प्रतिवादीगण संख्या 08 से मिलीभगत कर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मार्क ए,बी,सी,डी, हैं। जिसके आगे रोड पर जबरन पत्थर आदि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डालकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 03 कब्जा करने की व बैचान करने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 27/12/2011 को वादीगण को एलानिया धमक दी कि हम तुम्हारे 1/2 हिस्से में पर जबरन कब्जा कर लेगें व मना किया तो तुम लोगों को जान से खत्म कर देगें। तब वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगें, जिससे मौके पर विवाद होगा, खुन-खच्चर होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, यदि ताकत के बल पर वादीगण के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी, जिस पर वादीगण काबिज हैं, जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर लेते हैं, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण जबरन पत्थर आदि डालकर नीवें खोदकर कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू हैं। वादीगण गरीब व मजदूर व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण को ताकत के बल पर नहीं रोक सकते हैं एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया भी कि आप साथ चलकर 1/2 हिस्से का बंटवाड़ा भी करवा दिजिये, तो उन्होंने बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया। जबकि वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के कानून अधिकारी हैं। इसलिए वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 9 से लगायत 11 तक राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वादीगण का उक्त वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 27/12/11 को सरहद मौजा-रूपनगर (रास) में उत्पन्न होने से श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं, जो अन्दर म्याद हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 से 5 व 9 से 11 बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता ने दिनांक 02/02/2012 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-रास पर पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण को लोक अदालत की भावना से आदेशित किया जाता हैं कि वे उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने फर्द मौका / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश की, सा0मि0 किया गया। वकील वादी एवं प्रति0 मय प्रति0 संख्या 3 व 8 को सुना गया। उपस्थित वकुलाय एवं पक्षकारानों ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/2015 को पक्षकारानों में किये जाने का निवेदन किया हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन-प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री पर्चा किया जाकर विभाजन / बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रूपनगर, पटवार हल्का–रास–प्रथम, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 5–13 बीघा किस्म से0अ0 की भूमि का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	किस्म
1	देवाराम, चौथा पि0 जीवण कौम–गुर्जर सा0 देह खातेदार।	579	2-16-00	से0अ0	2.80 रू0
2	सुखा सरदार गिरधारी पि0 भेरू राधा पत्नि भेरू गुर्जर सा0 देह खातेदार। रहन–एम0जी0बी0 शाखा–रास।	579/1	1-09-00	से0अ0	1.42 रू0
3	शांति पत्नि रहमा कौम–गुर्जर सा0 देह खातेदार।	579/2	1-08-00	से0अ0	1.40 रू0
योग		3	5-13-00	से0अ0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. देवाराम पुत्र जीवण
2. चौथा पुत्र जीवण

जातियान-गुर्जर, निवासी-रूपनगर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. सुखा पुत्र चुतराराम
2. रहमा पुत्र चुतराराम
3. चन्द्रा पुत्र चुतराराम
4. सुखा पुत्र भैरू
5. सरदार पुत्र भैरू
6. गिरधारी पुत्र भैरू
7. राधा पत्नि भैरू
8. शांति पत्नि रहमा

जातियान-गुर्जर,निवासी-रूपनगर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

9. तहसीलदार, जैतारण
10. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
11. पट्वारी हल्का-रास-।

तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

मु0न0 :रा0वा0 स0:01/2012

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रूपनगर, पट्वार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 5-13 बीघा किस्म से0अ0 की भूमि का निम्नांकित रूप से बंट्वाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	किस्म
1	देवाराम, चौथा पि0 जीवण कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार।	579	2-16-00	से0अ0	2.80 रू0
2	सुखा सरदार गिरधारी पि0 भेरू राधा पत्नि भेरू गुर्जर सा0 देह खातेदार। रहन-एम0जी0बी0 शाखा-रास।	579/1	1-09-00	से0अ0	1.42 रू0
3	शांति पत्नि रहमा कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार।	579/2	1-08-00	से0अ0	1.40 रू0
योग		3	5-13-00	से0अ0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलब्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०२	००	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०३	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०८	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner